भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2111

उत्तर देने की तारीख: 02.08.2021

कार्यकारी परिषद और समितियों में मनोनयन

2111. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक में गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कोटे के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सरकार से पूर्व अनुमोदित प्राप्त नहीं करने का ब्यौरा और कारण क्या हैं;
(ख) क्या विश्वविद्यालय के राजपत्र के अनुसार, कार्यकारी परिषद और अन्य समितियों के अधिकतर सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बद्ध होने चाहिए;
(ग) यदि हां, तो क्या कुलपति ने कार्यकारी परिषद और अन्य समितियों में तीन सदस्यों में से एक भी सदस्य को अनुसूचित जनजाति वर्ग/गैर-सरकारी संगठन कोटे से नियुक्त नहीं किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) गत पांच वर्षों के दौरान प्रोफेसरों और डीन कोटा से कार्यकारी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति में वरिष्ठता के उल्लंघन की कितनी घटनाएं हुई हैं तथा कितने अवसरों पर कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अपेक्षित नियमों का उल्लंघन करते हुए नियुक्त किया गया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के अंतर्गत स्थापित एक संविधानिक स्वायत्त निकाय है और यह अधिनियम के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बनाई गई संविधियों और अध्यादेशों के तहत अभिशासित होता है। अधिनियम के प्रावधानों और विश्वविद्यालय की संविधियों के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद का

गठन किया जाता है। आईजीएनटीयू अधिनियम, 2007 की संविधि 11 में कार्यकारी परिषद की संरचना, अवधि और गणपूर्ति के बारे में उल्लेख किया गया है और तदनुसार विश्वविद्यालय द्वारा इसका गठन किया गया है। इस संबंध में, सरकार की ओर से पूर्वअनुमोदन अपेक्षित नहीं है। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय की ऊपर उल्लिखित संविधि के प्रावधानों के अनुरूप कोटा निर्धारित किया गया है।

(ड.): आईजीएनटीयू ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय की संविधि 11 के प्रावधानों के अुनरूप विश्वविद्यालय के डीन और प्राफेसरों को वरिष्ठता के अनुसार बारी-बारी से कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में किया गया है और इस संबंध में वरिष्ठता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

****